निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1935 (श0)

(सं0 पटना 536) पटना, वृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

15 मार्च 2013

सं0 22/नि0सि0(गया0)–17ए–05/2008/351—श्री राम तव्वकल सिंह,, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत से दानु बिगहा से कचनावॉ सबदलपुर तक दरधा नदी के बायॅा एवं दायॅा जमींदारी बांध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यो की औचक जांच तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, पटना द्वारा किए जाने के उपरान्त पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रथम द्रष्टया प्रमाणित निम्न आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 1212 दिनांक 5.11.09 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गयाः–

(1) उक्त जमींदारी बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के अनुमोदित प्राक्कलन में फॅारमेशन लेवल आर0एल0–272 फीट एवं एफ0 एस0 एल0–269 फीट के विरूद्व स्वीकृत प्राक्कलन में फारमेंशन लेवल आर0 एल0–249 फीट ही रखा गया है बांध की उचाई में 23 फीट की कमी पाई गई है।

(2) उक्त जमींदारी बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में निर्धारितानुसार मापी जांच नहीं किया गया है।

(3) उक्त जमींदारी बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में दरधा नदी के दायॅा बॅाध में बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कार्य कराया गया है।

(4) उक्त जमींदारी बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में गणित/आकलित एवं माप पुस्त में प्रविष्ट अधिक कार्य मात्रा के विरूद्व अधिक भुगतान किया गया है।

(5) उक्त जमींदारी बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के प्राक्कलन में मिट्टी चपाई का प्रावधान नहीं किया गया।

(6) उक्त जमींदारी बांध का उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य मार्च से 15 जून तक कराया गया है। जबकि सिंचाई विभाग में मिट्टी कार्य सामान्यतः वर्षा आगमन के पूर्व 31 मई तक कराने का निदेश है।

तत्पश्चात विभागीय संकल्प सं0–1556 दिनांक 21.12.09 द्वारा श्री सिंह के विरूद्व बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विभागीय जांच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन से विदित होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा आरोप सं0–1 के बचाव बयान में कहा गया कि अनुमोदित प्राक्कलन एवं स्वीकृत प्राक्कलन का अर्थ एक ही होता है। स्वीकृत प्राक्कलन में फारमेंशन लेवल 249 फीट रखा गया है और एभरेज ग्राउन्ड का एन0 एस0 एल0–238 फीट अंकित है। इस प्रकार फॅारमेंशन लेवल एवं एन0 एस0

एल0 का अन्तर मात्र 11 फीट है जो बांध की उचाई है। जब जमींदारी बांध की उचाई 23 फीट है ही नहीं तो उचाई 23 फीट कम करने का आरोप निराधार है।

उक्त बचाव बयान पर जांच आयुक्त द्वारा असहमति व्यक्त करते हुए कहा गया कि कार्य स्थल के इर्द गिर्द पानी भरे रहने एवं खेतों में फसल लगे रहने के कारण बेंच मार्क निर्धारित कर एज्यूक्ड लेवेल के आधार पर बांध का फामेंशन लेवल आर0 एल0 272 फीट एवं एफ0 एस0 एल0–269 फीट प्रतिवेदित किया गया था जिस पर विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई किन्तु बाद में वास्तविक आधार पर बेस लेवल से बांध की उचाई लेने पर स्वीकृत प्राक्कलन में फॉरमेशन लेवल आर0 एल0 269 फीट ही निर्धारित हुआ जिससे प्रथम द्रष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बांध की उचाई में 23 फीट की कमी की गई है। अतः बांध की उचाई में कमी आने का तकनीकी कारण या वास्तविक स्थिति का जिक्र स्वीकृत प्राक्कलन में नहीं किए जाने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई। आरोपित पदाधिकारी द्वारा वास्तविक आधार पर तैयार किए कार्यकारी प्राक्कलन में वस्तु स्थिति का जिक्र कर दिया जाना चाहिए था कि दोनों आर0 एल0 में अन्तर क्यो आ रहा है। अतः आरोपित के विरूद्व आरोप सं0–1 इस हद तक प्रमाणित पाया गया कि उन्होंने कार्यकारी प्राक्कलन बनाते समय वास्तविक स्थिति का जिक्र नहीं किया। विभागीय समीक्षा में इस पर सहमति व्यक्त की गई।

आरोप सं0–2 के बचाव बयान में आरोपित पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि आरोप निराधार है तथा कथित त्रुटिपूर्ण औचक जांच प्रतिवेदन में जिस परिपत्र के हवाले से यह आरोप लगाया गया है वह मिट्टी कार्यो के अन्तिम मापी विपत्र की मापी के संबंधित है तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की स्वामित्व वाली जमींदारी तटबधों पर लागू नहीं होता है।

उक्त बचाव बयान के आलोक में जांच प्रतिवेदन में जांच पदाधिकारी का कथन है कि दरधा नदी के बाए बांध की उपरी चौड़ाई प्राक्कलन प्रावधान 12 फीट (3.6 मी0) के विरूद्व 3.6 मी0 या उससे अधिक पायी गई है और कुछ चेन पर बांध की उपरी चौड़ाई 3.6 मी0 से कम भी मापी गई। कचनावॉ के समीप बांध लम्बाई 3376 मी0 दूरी पर 11 मी0 का एक रोड गैप विधमान है। मापपुस्त में बायॉ बांध की लम्बाई 4620 मी0 और दायॉ बंध की 1740 मी0 दर्ज है। बायॉ बॉध की लम्बाई मापपुस्त के अनुरूप मानी जा सकती है परन्तु दायॉ बांध की स्थलीय लम्बाई स्वीकृत प्राक्कलन मापपुस्त एवं मापपुस्त में दर्ज लम्बाई क्रमशः 5200 फीट अर्थात 1560 मी0 एवं 5800 फीट अर्थात 1740 मी0 से अधिक है। स्वीकृत लम्बाई से प्राप्त 74 प्रतिशत अधिक लम्बाई में दायॉ बॉध का स्थलीय कार्य किया जाना अनियमित माना जा सकता है क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन में दायॉ बांध का प्राक्कलन भी नहीं किया गया है। अतः आरोप सं0–2 आंशिक रूप से प्रमाणित होता है। विभागीय समीक्षा में इस पर सहमति व्यक्ति की गई।

आरोप सं0–3 के बचाव बयान में आरोपित पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि मुख्य पृष्ठ पर टंकन भूल के कारण ऐसा होने की संभावना है। प्रशासनिक स्वीकृति का कोई साक्ष्य आरोप के साथ नहीं दिया गया है तथा उक्त कार्य के स्वीकृत कार्यकारी प्राक्कलन में बायॉ और दायॉ दोनों ओर से तटबंधों का उल्लेख/ प्रावधान है और यदि मात्र बायॉ बांध का ही उल्लेख है तो तकनीकी परीक्षक कोषांग के जांच दल द्वारा दायॉ बांध के निरीक्षण का कोई औचित्य नहीं है। फलतः प्रमाणित होता है कि प्राक्कलन बायॉ और दायॉ दोनों बॉधों के लिए था।

उक्त बचाव बयान के आलोक में जांच पदाधिकारी द्वारा पाया गया कि उपरोक्त जमींदारी बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रशासनिक स्वीकृत्यार्थ प्राक्कलन में दरधा नदी के दाएँ बॉध का प्रावधान नहीं रहने के बावजूद कार्यकारी प्राक्कलन में दायॉ बॉध का समावेश कर अघीक्षण अभियन्ता से स्वीकृति प्राप्त कर लिया गया जो गलत है। दरधा नदी के बाएँ जमींदारी बॉध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 91.98 लाख के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति ज्ञापांक 2340 दिनांक 16.10.07 द्वारा संसूचित की गई थी। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी उपस्थापित अभिलेख से इसकी सम्पुष्टि होती है। किसी भी कार्य में भुगतान की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियन्ता पर होती है। अतः कार्यपालक अभियन्ता के स्तर पर विशेष निगरानी रखने की जरूरत थी किन्तु बिना प्रशासनिक स्वीकृति के दायॉ बॉध को समावेशित कर एवं कार्य के विरूद्व भुगतान करने की कार्रवाई गलत है इसके अलावा विभिन्न कागजातों में विभिन्न तरह से बाएँ दाएँ दर्शाकर सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्य कराकर उसका भुगतान संवेदक को किया गया है। अतः आरोपित पदाधिकारी की पूर्व जानकारी में सब कुछ हुआ है। फलतः उनके विरूद्व गठित आरोप सं0–3, प्रमाणित पाया गया। विभागीय समीक्षा में जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए उक्त आरोप को प्रमाणित पाया गया।

आरोप सं0–4 के बचाव बचान में श्री सिंह द्वारा कहा गया कि जॉच दल द्वारा सही ठंग से मापी नहीं किया गया। किसी मापी यंत्र अथवा लेवलिंग यंत्र का प्रयोग किए बिना काफी दूरी पर आडी काट लेते हुए आई इस्टीमेशन से मापी किया गया जबकि तकनीकी प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक एक चेन (30 मी0) पर आड़ी काट लेने का विधान है। आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा यह भी कहा गया कि जांच प्रतिवेदन की कंडिका 4.0.0 में जांच पदाधिकारी द्वारा स्वयं उल्लेख किया गया है कि दोनों ही बॉधों में रेनकट्स काफी है एवं बरसात के बाद नापी ली गई है। फलतः बॉध के नन कम्पेक्टेड स्वाईल में अत्यधिक क्षरण संभव भी है जिसका सही आकलन संभव भी नहीं है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि तत्समय कार्य चालू स्थिति में था और उसका चालू विपत्र ही चल रहा था। वैसे में इसमें हुई किसी प्रकार की त्रुटि का निराकरण या हुई क्षति का रिपेयर या भूलचूक का समयोजन अगले विपत्र में किया जा सकता था। अन्तिम विपत्र नहीं होने के चलते यह संवेदक की बाध्यता भी है। ऐसे में अत्यधिक मिट्टी की मात्रा का भुगतान किए जाने का आरोप निराधार है।

उक्त बचाव बयान के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया कि जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन की कंडिका 4.0.0 के अनुसार मापपुस्त में अघतन दर्ज मिट्टी की मात्रा 102802.58 घन मीटर में से उपर

आकलित स्थलीय कार्य मात्रा 57186 घन मीटर धटाने से स्पष्ट है कि 45616 घन मीटर मिट्टी कार्य मात्रा मापपुस्त में अधिक प्रविष्ट है। एक बरसात के लिए 20 प्रतिशत क्षरण लाभ देने पर भी 11437 घन मीटर मिट्टी क्षरण लाभ दिया जा सकता है। अतः 34180 घन मीटर मिट्टी अधिक प्रविष्ट मानी जा सकती है। इसी आधार पर गणना करके 1575390/– मात्र का अधिक भुगतान बनाया गया है। दोनों ही बांधों में रेन कट्स काफी है और बरसात के बाद मापी ली गई है। अतः 20 प्रतिशत क्षरण का लाभ देने बावजूद मिट्टी भराई में अधिक राशि के भुगतान का आरोप प्रमाणित पाया गया। विभागीय समीक्षा में उक्त आरोप को प्रमाणित पाया गया।

आरोप सं0–5 के बचाव बयान में आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा कहा गया कि विभागीय प्रावधानुसार सम्पूर्ण बिहार में कही भी जमींदारी बांध में मिट्टी चपाई का प्रावधान नहीं था तो मिट्टी चपाई का प्रधान न रहने के बावजूद भी मिट्टी चपाई न होने के लिए किसी को अकारण दोषी ठहराया जाना अवैध है।

उक्त बचाव बयान के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं विभागीय समीक्षा में संबंधित आरोप सं0–5 को प्रमाणित नहीं पाया गया।

आरोप सं0–6 के बचाव बयान में आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना सं0–8/2007–08 का हवाला देते हुए कहा गया कि प्रकाशित निविदा के अनुसार उक्त कार्य को दिनांक 30.6.08 तक निष्पादित कराया जाना था जिसे 15 जून तक ही करा लिया गया है।

उक्त बचाव बयान के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा निविदा की प्रति के पृष्ठ 124/प0 के क्रमांक–5 पर वर्णित योजना ग्राम दानुविगहा से कचनावा सबदलपुर तक दरधा नदी के बायॅा जमींदारी बांध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु निविदा निकाला गया जिसमें कार्य समाप्ति की तिथि 30.6.08 रखी गई थी जो आरोपित पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत हुआ है। उक्त जमींदारी बांध में मिट्टी कार्य मार्च से 15 जून तक किया गया है। सिंचाई विभाग में मिट्टी कार्य सामान्यतः अक्टूबर से प्रारम्भ कर बरसात आगमन के पूर्व ही 31 मई तक समाप्त करने का निदेश है। कार्य समाप्ति की तिथि एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा निर्गत निविदा में निर्धारित तिथि में भिन्नता हैं। अतः विभागीय निदेश का अनुपालन न कर अपनी इच्छानुसार कार्य समाप्ति की तिथि तय करने के आधार पर उक्त आरोप प्रमाणित पाया गया। विभागीय समीक्षा में भी इसे प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोप सं0–1 के इस हद तक प्रमाणित होने कि उनके द्वारा वास्तविक स्थिति का जिक्र नहीं किया गया, आरोप सं0–2 के आंशिक रूप से प्रमाणित होने तथा आरोप सं0–3, 4 एवं 6 के पूर्णतः प्रमाणित होने के आलोक में उनसे विभागीय पत्रांक 791 दिनांक 4.7.11 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा प्राप्त जबाव की समीक्षा की गई। आरोप सं0–1 के संबंध में श्री सिंह द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अतएव आरोप सं0–1 उन पर इस हद तक प्रमाणित पाया गया कि कार्यकारी प्राक्कलन तैयार करते समय उनके द्वारा वास्तविक स्थिति का जिक्र नहीं किया गया।

आरोप सं0–2 के संबंध में भी आरोपित पदाधिकारी द्वारा कुछ नहीं कहा गया। अतः आरोप सं0–2 उनके विरूद्व आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

आरोप सं0–3 के संबंध में की गई द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में श्री सिंह द्वारा वहीं बातें कही गई जो अपने बचाव बयान में पूर्व में संचालन पदाधिकारी के समक्ष कही गई थी। अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं विश्लेषण तथा विभागीय समीक्षा के आलोक में आरोप सं0–3 प्रमाणित पाया गया।

आरोप सं0–4 एवं 6 के संबंध में की गई द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में भी श्री सिंह द्वारा वही तथ्य दिया गया जो अपने बचाव बयान में पूर्व में संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा गया था। विभागीय समीक्षा में उक्त आरोप सं0–4 एवं 6 को प्रमाणित पाया गया।

अतः उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री राम तव्वकल सिंह,, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है।

1. 40 (चालीस) प्रतिशत पेंशन पर दस वर्षो तक के लिए रोक।

उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

तदनुसार उक्त निर्णय के आलोक में श्री राम तव्वकल सिंह,, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत को 40 (चालीस) प्रतिशत पेंशन पर दस वर्षो तक के लिए रोक का दण्ड देते हुए यह दण्डादेश उन्हें संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

श्याम कुमार सिंह,

सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 536-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in